

कानून के साथ संघर्ष में बच्चों से संबंधित प्रक्रिया (*Procedure in Relation to Children in Conflict with Law*) भारत में किशोर अपराध को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, बल्कि एक सुधारात्मक और पुनर्वास पर केंद्रित दृष्टिकोण से देखा जाता है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत ऐसे सभी बच्चों के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो किसी आपराधिक कृत्य में शामिल पाए जाते हैं। इन बच्चों को "**कानून के साथ संघर्ष में बालक (Children in Conflict with Law)**" कहा जाता है।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के साथ गरिमा, सम्मान और सुधार के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार किया जाए।

◆ 1. गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज करना

जब कोई बच्चा किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है या संदेह के घरे में आता है, तब पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन सामान्य अभियुक्तों की तरह नहीं।

प्रक्रिया:

- पुलिस को बच्चे को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए।
- गिरफ्तारी के समय यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे के अधिकारों की रक्षा हो।
- बच्चे को **किशोर पुलिस इकाई** द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित होती है।
- बच्चे की गिरफ्तारी की सूचना **माता-पिता या अभिभावक** को दी जाती है।
- पुलिस **प्राथमिकी (FIR)** दर्ज करने के बजाय **जनरल डायरी (General Diary Entry)** में उल्लेख करती है, जब तक कि अपराध गंभीर न हो।

◆ 2. किशोर पुलिस इकाई की भूमिका

पुलिस थाने में सामान्य प्रक्रिया लागू नहीं होती।

- पुलिस बच्चे से पूछताछ **सामान्य वर्दी** में करती है।
- पूछताछ **बाल अनुकूल वातावरण** में की जाती है, जैसे कि बंद कमरे में, बिना डराए-धमकाए।
- पूछताछ के दौरान माता-पिता या बाल अधिकार कार्यकर्ता की उपस्थिति होनी चाहिए।
- बच्चे को अधिकतम 24 घंटे के भीतर **किशोर न्याय बोर्ड (JJB)** के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है।

◆ 3. किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेशी

बच्चे को 24 घंटे के भीतर JJB के सामने लाया जाता है।

- बोर्ड पहले बच्चे की **आयु की पुष्टि** करता है।
- यदि बच्चा 18 वर्ष से कम है, तब उसे वयस्क न्यायालय के बजाय किशोर न्याय प्रणाली के तहत रखा जाता है।
- बोर्ड यह तय करता है कि बच्चे को **निरीक्षण गृह (Observation Home)** में भेजा जाए या उसके माता-पिता की निगरानी में छोड़ा जाए।

◆ 4. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social Investigation Report)

यह रिपोर्ट बच्चे के पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और मानसिक पृष्ठभूमि का विवरण देती है।

- रिपोर्ट **समाजसेवी अधिकारी (Probation Officer)** द्वारा तैयार की जाती है।
- इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चे को सुधार की कितनी आवश्यकता है और उसे कैसे

पुनर्वासित किया जाए।

- रिपोर्ट को बोर्ड सुनवाई में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करता है।

◆ 5. अपराध की प्रकृति का निर्धारण

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, अपराध को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. **साधारण अपराध (Petty Offence):** जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा हो।
2. **गंभीर अपराध (Serious Offence):** जिनमें 3 से 7 वर्ष की सजा हो सकती है।
3. **जघन्य अपराध (Heinous Offence):** जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा निर्धारित हो।

यदि बच्चा 16 से 18 वर्ष की आयु का है और उस पर जघन्य अपराध का आरोप है, तो किशोर न्याय बोर्ड एक प्रारंभिक मूल्यांकन करता है ताकि यह तय किया जा सके कि बच्चा वयस्क की तरह मुकदमा झेलेगा या नहीं।

◆ 6. सुनवाई और प्रक्रिया (Inquiry and Trial)

- किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सुनवाई **अदालत की तरह नहीं** होती, बल्कि सुधारात्मक और बाल अनुकूल तरीके से होती है।
- पूरी प्रक्रिया **गोपनीय** होती है।
- बच्चे को उसका पक्ष रखने की अनुमति होती है और यदि वह चाहें तो **वकील की सहायता** भी ले सकते हैं।
- बोर्ड इस बात की समीक्षा करता है कि बच्चा सुधार के लिए योग्य है या नहीं।

◆ 7. निर्णय और आदेश (Disposition Orders)

सुनवाई के बाद, बोर्ड निम्नलिखित सुधारात्मक आदेश पारित कर सकता है:

1. **माता-पिता या अभिभावक की निगरानी में सौंपना**
2. **समाज सेवा कार्य (Community Service)**
3. **परामर्श (Counseling)**
4. **शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण देना**
5. **निरीक्षण गृह या विशेष गृह में भेजना (3 वर्ष तक)**
6. **कोई मौद्रिक क्षतिपूर्ति या क्षमा याचना**

जघन्य अपराध के मामलों में, यदि बोर्ड यह पाता है कि बच्चा सुधार के योग्य नहीं है, तो मामला **सत्र न्यायालय (Sessions Court)** में भेजा जा सकता है, जहाँ वयस्क के रूप में सुनवाई की जाती है। लेकिन ऐसे मामलों में भी बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

◆ 8. पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण

- किशोरों को केवल दंडित करना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें समाज में पुनः स्थापित करना भी जरूरी होता है।
- इसके लिए बोर्ड बच्चे को सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे **कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक प्रशिक्षण, और परामर्श** में भेज सकता है।
- सुधार गृहों में भी शिक्षा, योग, संगीत, खेल, और चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है।

◆ 9. गोपनीयता और पुनरावृत्ति से सुरक्षा

- किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, बच्चे के नाम, पहचान, फोटो या व्यक्तिगत जानकारी का

प्रकाशन वर्जित है।

- यदि बच्चा सुधार गृह से बाहर आने के बाद दोबारा अपराध करता है, तो उसकी पिछली अपराध सूची न्यायालय में **प्रस्तुत नहीं की जाती** ताकि पुनर्वास की संभावनाएँ बनी रहें।

◆ 10. किशोरों के अधिकारों की सुरक्षा

संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि:

- बच्चे को सम्मान और गरिमा से देखा जाए।
- उसे अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले।
- उसे उचित परामर्श, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक समर्थन मिले।
- कोई भी शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न न हो।

◆ निष्कर्ष

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत **“कानून के साथ संघर्ष में बच्चों से संबंधित प्रक्रिया”** एक परिपक्व, संवेदनशील और सुधारात्मक दृष्टिकोण को अपनाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपराध की दुनिया से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, सुधार और पुनर्वास के ज़रिए समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है।

यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि बच्चा केवल एक गलती के कारण अपने पूरे जीवन के अवसरों से वंचित न हो जाए। जब तक परिवार, समाज और सरकार मिलकर सहयोग नहीं करेंगे, तब तक यह प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती।